

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 11.7.19

::आदेश::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी जन्म दिनांक 10.07.1959 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.07.2019 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.01.2019 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

२१ -

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, पाली।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव